


# भारत सरकार / Government of India वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry, विकास आयुक्त का कार्यालय/ Office of the Development Commissioner, सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone,



<u>टेलि. / Tel. : 022-28294756</u>

ई-मेल / E-mail: dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

F.No. SEEPZ/JDC Pune/01/2022-23/2151



दिनांक: 16.03.2023

## कार्यालय आदेश सं. 02/2023

# विषय: बीएलयूटी (BLUT) की निगरानी की प्रक्रिया और अतिरिक्त बीएलयूटी की आवश्यकता के संबंध में।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 15.02.2023 के पत्र संख्या K43013(18)/2/2022-SEZ के स्पष्टीकरण के संदर्भ में बीएलयूटी की निगरानी के लिए विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के तहत कार्यालयों दवारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

- सेज़ नियम, 2006 के नियम 22(1) (iv)(डी) के प्रावधानों के अनुसार, बीएलयूटी (BLUT) में (i) कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा।
- बीएलयूटी राशि की निगरानी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट या डेवलपर या यूनिट दवारा प्रस्त्त वार्षिक (ii) प्रगति रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो, के आधार पर की जाएगी।
- केवल बीएलयूटी राशि में किसी भी कमी के मामले में, डेवलपर/यूनिट दवारा एक नया या (iii) अतिरिक्त बांड-सह-कानूनी उपक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। अतिरिक्त बीएलयूटी केवल उन मामलों में उत्पन्न होगा जहां संचालन का पैमाना प्रारंभिक स्तर से बढ़ गया है जिसके लिए बीएलयूटी प्रस्तृत किया गया था और जब तक यूनिट/डेवलपर शुरू में परिकल्पना की गई गतिविधियों के समान पैमाने पर काम करता है, तब तक कोई अतिरिक्त बीएलयूटी नहीं मांगा जाएगा।
- डेवलपर/यूनिट के प्रदर्शन की निगरानी करते समय यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि (iv) यूनिट/डेवलपर द्वारा की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद पर छोड़ा गया शुल्क अनुमान के अनुसार बांड मूल्य से अधिक नहीं है।
- (v) मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अनुसार मॉड्यूल में आवश्यक संशोधन होने तक एनएसडीएल (NSDL) ऑनलाइन मॉड्यूल पर बीएलयूटी बैलेंस अपलोड करना स्थगित रखा जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता.

(मीतल एस. हिरेमठ) संयुक्त विकास आयुक्त सेज़-पुणे क्लस्टर

#### प्रति:

- विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी i.
- विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी प्राधिकृत ii. (अधीक्षक)/प्राधिकृत अधिकारी (निरीक्षक)
- कार्यालय आदेश फ़ाइल iii.



### भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय/ MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER, सीप्ज विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ - SPECIAL ECONOMIC ZONE



Pune Office: SEZ Bhavan, Plot No. 6/1, MIDC, Phase-III, Hinjewadi, Pune - 411057

E-mail: jdcpc-mah@gov.in, Web-site: www.seepz.gov.in Tel.: (020)61931407

F.No. SEEPZ/JDC Pune/01/2022-23 215

Date: 16.03.2023

#### OFFICE ORDER No 02 / 2023

Sub: Procedure for monitoring of BLUT and requirement for additional BLUT - reg.

With reference to clarification issued by MOC&I vide letter No. K43013(18)/2/2022-SEZ dated 15.02.2023 the following procedure will be followed by the offices under the jurisdiction of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ for monitoring of BLUT:

- (i) In terms of provisions of Rules 22(1)(iv)(d) of the SEZ Rules, 2006, there shall be no debit and credit in the BLUT.
- (ii) The BLUT amount shall be monitored quarterly or yearly on the basis of Quarterly Progress Report or Annual Progress Report submitted by the Developer or Unit, as the case may be.
- (iii) Only in case of any shortfall in the BLUT amount, a fresh or additional Bond-cum-Legal Undertaking shall be furnished by the Developer/Unit. The additional BLUT would arise only in cases where the scale of operations have increased from the initial levels for which the BLUT was submitted and no additional BLUT shall be sought as long as the Unit/Developer operates at the same scale of activities as initially envisaged.
- (iv) While monitoring the performance of the Developer/Unit it should be verified that the duty foregone on the total procurement of goods and services done by the Unit/ Developer does not exceed the bond value, as per projections.
- (v) The uploading of BLUT balance on the NSDL online module to be kept in abeyance till such time that necessary amendments to the module is carried out as per the clarification of the Ministry.

This issues with the approval of the Competent Authority.



(Mital S. Hiremath)
Jt. Development Commissioner
SEZ- Pune Cluster

### Copy to:

- i) All Specified Officers under the jurisdiction of Development Commissioner, SEEPZ, SEZ
- ii) All Authorized Officers (Superintendents)/Authorised Officer (Inspectors) under the jurisdiction of Development Commissioner, SEEPZ, SEZ
- iii) Office Order File